IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–पंचम
नीलगिरी काम्पलेक्स,इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700
Bureau of Indian Standards SQMS

पत्र सं0–1853 /नि0प्रा0 –20 /2016/वा0नि0–5 / दिनांक– 15/6/ 2016

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अर्न्तगत

स्वीकृति–पत्र (प्रथम चरण)

सेवा में,

श्री गगन कुमार शर्मा, डायरेक्टर,
मैसर्स जी0एस0आर0 बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0,
832/6 डेहली सुजानपुर रोड, श्याम नगर,
कानपुर।

विषयः व्यवसायिक भूखंड संख्या–6ए/काम0–3,वृन्दावन योजना,लखनऊ में निर्माण के सापेक्ष सक्षम स्तर से अनुमोदित/स्वीकृत मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक व्यवसायिक भूखण्ड सं0 6ए/काम0–3,सेक्टर–6ए,वृन्दावन योजना लखनऊ के मानचित्र स्वीकृति सम्बंधी आपके आवेदन दिनांक 25–4–2016 के कम में प्रस्तावित मानचित्र को प्राथमिक आपत्तियों के निराकरण उपरान्त परीक्षणोपरान्त समक्ष स्तर से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसपर मुख्य वास्तुविद नियोजक/सचिव महोदय द्वारा दिनांक 14–6–2016 को कतिपय शर्त सहित अनुमोदन/स्वीकृत किया है। जिसके कम में आप द्वारा शुल्क एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कराने के फलस्वरूप मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया। अतः उपरोक्तानुसार प्राप्त अनुमोदन के कम में एतदद्वारा निम्न शर्तो के अधीन अनुमोदित मानचित्र निर्गत किया जा रहा है :–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष की होगी। (दिनांक 15- 6–2016 से 14. 6–2021 तक)।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल 691.59 व0मी0 (लोअर ग्राउण्ड+अपर ग्राउण्ड फ्लोर प्रथम तल, द्वितीय तल व ममटी) तलों के सापेक्ष वर्तमान में 325.68 व0मी0 (LGF+UGF) के निर्माण हेतु 546.56 वर्ग0मी0 के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है।
5. यह स्वीकृति परिषद के कार्यालय आदेश सं0–152/एम0–64 दिनांक 14–1–2015 के अनुपालन में प्रथम चरण में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार उक्तानुसार निर्माण की पुष्टि सम्बंधित निर्माण खण्ड–12,लखनऊ से होने के उपरान्त अनुवर्ती तलों– प्रथम तल, द्वितीय तल एवं ममटी तल के (क्षेत्रफल 365.91 व0मी0) के निर्माण की अनुमति कालान्तर में इस कार्यालय द्वारा प्रदान की जा सकेगी।
6. भविष्य में प्रस्तावित से भिन्न उपयोग किये जाने की दशा में परिवर्तन के सापेक्ष पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, इस प्रकार के परिवर्तन पर उपविधि के अनुसार अनुमन्य पार्किंग का प्राविधान सुनिश्चित किये जाने की दशा में ही स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
7. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड–12,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी। यदि उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
8. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
9. आवंटी द्वारा संलग्न प्रारूप पर पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलंग्न करना होगा।
10. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570–9–आ–12001 (भूकम्परोधी/2001/ (आ0बा0) दिनांक 3–2–2001 एवं सं0 3751/9–आ0– भूकम्परोधी /2001/ (आ0बा0) दिनांक 20–7–2001 के अन्तर्गत शर्ते एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है। जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।

11. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र स्ट्रक्चरल प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।

12. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–12,लखनऊ के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।

13. प्रश्नगत भूमि पर निर्माण के पश्चात् उपविधि 2008 परिशिष्ट–6 प्रपत्र–ब के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। जिसे सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही परिषद द्वारा जारी की जायेगी।

14. शासनादेश के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रस्तावित निर्माण के सापेक्ष उपकर के सम्बंध में श्रम आयुक्त, कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र यू0पी0एस0ए028001940 दिनांक 17–5–2016 के सापेक्ष उपकर के मद में जमा धनराशि रू0 5000/– दिनांक 12–5–2016 को जमा रसीद की प्राप्त छाया प्रति के कम में इस शर्त सहित प्रथम चरण के निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी है कि आवंटी द्वारा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में ससमय निर्माण के अनुसार उपकर जमा कराते हुए उसकी रसीद की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी एवं तद्नुसार कियान्वयन सुनिश्चित किया जाना होगा।

15. उप आवास आयुक्त सम्पत्ति प्रबंध, वृन्दावन योजना लखनऊ के द्वारा पत्रांक 5073/स0प्र0वृ0 दिनांक 9–6–2016 द्वारा निर्माणण हेतु एक वर्ष की समयवृद्धि निर्गत की गयी है जिसका अनुपालन सुनिश्चित करना है।

16. शासनादेश के अनुसार भूखण्ड परिसर में वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।

17. शासनादेश के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।

<u>सलंग्नकः उपरोक्तानुसार।</u>

1.आर्कीटैक्चरल मानचित्रों का एक सैट–(01 नग)
2.स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स का एक सैट– (01 नग)
3. ,, ,, गणना -(01 नग)

भवदीय,

(संजीव कश्यप)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

पृ0सं0:– /उक्त /नि0प्रा0–20/2016 दिनांकः 2016

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता–वृन्दावन वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,वसुन्धरा लखनऊ
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–12,उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्र इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया शर्त संख्या–4, 5 व 7 का अनुपालन स्थल पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।
3. उप आवास आयुक्त,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सम्पत्ति वृन्दावन योजना लखनऊ ।
5. मुख्य निरीक्षक, शॉप्स एण्ड कामर्शियल इस्टेब्लिस्टमेंट श्रम विभाग उ0प्र0, को उनके द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र यू0पी0एस0ए028001940 दिनांक 17–5–2016 के कम में कि जमा उपकर की रसीद की प्रति अभिलेखार्थ इस कार्यालय को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी